

25.1.21  
GMD

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 25/01/2021

क्र. एफ 16-19/2015/बी-ग्यारह: राज्य शासन एतद द्वारा मेसर्स वेकमेट इण्डिया लि. औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी, जिला धार में विद्युत टैरिफ में दी गई रियायत लागू करने के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संबंध में निर्णय लिया गया कि इकाई को शासन आदेश दिनांक 14/10/2015 में स्वीकृत अनुसार विद्युत टैरिफ में रुपये 1/-प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ में दी गई छूट, अगर कोई हो, के अतिरिक्त होगी। विद्युत वितरण कंपनी के स्तर से कोई छूट देय नहीं होगी। निर्धारित टैरिफ में उक्त छूट की राशि की गणना कर एमपी आईडीसी द्वारा मेसर्स वेकमेट इण्डिया लि., औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी, जिला धार को प्रतिपूर्ति किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
भोपाल, दिनांक 25/01/2021

पृ.क्र. एफ 16-19/2015/बी-ग्यारह  
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
6. कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स वेकमेट इंडिया लि., अनंत प्लाजा, द्वितीय तल, 4/117-2ए, सिविल लाईन, चर्च रोड, आगरा-2, उत्तर प्रदेश।  
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग